राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 292/2025

मुकेश कुमार योगी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सरसोप ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 के विवादित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सारसोप जिला सवाईमाधोपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कवाड़ जिला सवाईमाधोपुर में पदस्थापन दिया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 11 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–1) विवादित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी को दिनांक 9–12–2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी से मुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) दिनांक 07.12.2024 को आरोपित आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 14.11.2024 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों के अधिशेष के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को

प्रारंभ में शिक्षक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अपीलार्थी ने भी आवेदन पत्र दाखिल करके साक्षात्कार में भाग लिया था जिसके द्वारा अपीलार्थी को एक विशेष स्कूल अर्थात महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सारसोप का कॉर्नेट दिया गया था। उसके बाद अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सारसोप सवाईमाधपुर के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक ग्रेड III लेवल 1 के रूप में दिनांक 29.11.2022 के आदेश के अनुसार चुना गया और जिसके अनुसार उसने दिनांक 29.11.2022 के आदेश के अनुसार शिक्षक ग्रेड III लेवल 1 के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और तब से वह पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उचित माध्यम से हुआ था और साक्षात्कार प्रक्रिया और महात्मा गांधी स्कूल के लिए प्रशिक्षित शिक्षक होने के बावजूद, उनका चयन किया गया, इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध रूप से अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने बिना योग्यता के ही विवादित आदेश पारित कर दिया, जिसके तहत अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक है, क्योंकि उनका चयन उचित माध्यम से हुआ था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश दिनांक 07.12.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 9.12.2024 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सरसोप में नियमित वेतन और अन्य परिणामी भत्ते के साथ निरंतर कार्यतर रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष